UPBL010025702026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, बलिया।

पीठासीन अधिकारी– श्री रामकृपाल, (एच.जे.एस.) जे0ओ0 कोड– उ0प्र0– 02759

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं0–1070/2026

अशोक कुमार भारती पुत्र गुड्डू राम निवासी ग्राम बहादुरपुर थाना हल्दी जिला बलिया/ वर्तमान पता– इण्डियन आयल भूषण सर्विस स्टेशन टेंगरही थाना बैरिया, जिला बलिया (उ0प्र0)

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या–149/2026

धारा–3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

थाना–बैरिया, जिला–बलिया।

दिनांक–04–07–2026

1– आवेदक/अभियुक्त अशोक कुमार भारती की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मु0अ0सं0–149/2026, अन्तर्गत धारा–3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 थाना बैरिया, जिला बलिया में प्रस्तुत किया गया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा इन्द्रेश कुमार तिवारी, पूर्ति निरीक्षक, विकास खण्ड बैरिया ने थानाध्यक्ष बैरिया को इस आशय का तहरीर दिया कि "अवगत कराना है कि दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण बलिया संस्करण दिनांक 24.04.2026 के शीर्षक दो किमी0 चलते ही निजी एंबुलेस का पेट्रोल खत्म, पम्प पर नहीं मिला तेल, मरीज की मौत की प्रकाशित खबर जिसकी जांच जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) बलिया के निर्देशन में, उपजिलाधिकारी बैरिया एवं जिला पूर्ति अधिकारी बलिया द्वारा की गयी है, एवं जांचोपरान्त दिनांक 24.04.2026 को जिलाधिकारी महोदय को आख्या दी गयी है। जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 24.04.2026 को मे० भूषण सर्विस स्टेशन, बैरिया (टेंगरही) बलिया के मैनेजर श्री अशोक कुमार भारती पुत्र गुड्डु राम निवासी ग्राम बहादुरपुर विकास बाड़ बेलहरी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। उल्लेखनीय है कि प्रकाशित खबर की जाँच में पेट्रोल पम्प के फुटेज देखे गये एवं पेट्रोल पम्प के मैनेजर श्री अशोक कुमार के बयान अंकित किये गये तथा पेट्रोल पंप के स्टाक का सत्यापन किया गया। मृतक छड्डू शर्मा की पत्नी के बयान अंकित किये गये तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनबरसा चिकित्सक डाक्टर राजेश सरोज से जानकारी प्राप्त की गयी। ग्राम प्रधान श्री सत्येन्द यादव उर्फ सतन यादव से भी जानकारी प्राप्त की गयी है तथा एबुलेंस चालक श्री विजेन्द्र यादव, रामअयोध्या यादव, निवासी मिश्र गिरी की मठिया के बयान अंकित किये गये। 2. श्री विजेन्द्र यादव एंबुलेंस वाहन सख्या– WB39A9280 को चला रहे थे। श्री विजेन्द्र यादव के द्वारा अपने बयान में कहा गया है कि दिनाक 22.04.2026 की रात्रि लगभग 8:30 छड्डू शर्मा के घर से फोन आने पर छड्डू शर्मा को

Digitally signed by RAMKRIPAL
Date: 2026.07.04 18:22:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

लेकर एबुलेंस संख्या–WB39A9280 से अस्पताल सोनबरसा जा रहा था। एबुलेंस में पेट्रोल कम था,जिस कारण रास्ते में भूषण पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने गया, परन्तु पेट्रोल पंप के कर्मचारी द्वारा तेल देने से इन्कार किया गया। इसके बाद अन्य जगह से तेल की व्यवस्था करके छड्डू शर्मा को अस्पताल ले जाया गया। जहाँ डाक्टर द्वारा श्री छड्डू शर्मा को मृतक घोषित किया गया। 3. मृतक श्री छड्डू शर्मा की पत्नी श्रीमती ममता देवी ने अपने बयान में कहा है कि दिनांक 22.04.2026 को साथ 07:00 बजे छड्डू शर्मा पुत्र रामदेव शर्मा उम्र लगभग 50 वर्ष निवासी पाण्डेयपुर, जगदेवा की अचानक पेट में दर्द हुआ। उसके बाद हम लोग एंबुलेंस के लिए फोन किये, लेकिन एबुलेंस नहीं आयी। हम लोग गांव के ही निजी एंबुलेस से लेकर अस्पताल जा रहे थे, लेकिन तेल न मिलने के कारण हम लोग कहीं अन्य जगह से तेल की व्यवस्था करके सोनबरसा अस्पताल एबुलेंस से ले गये। जहाँ डाक्टर द्वारा मृतक घोषित किया गया। 4. इस संबंध में सामुदयिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक डाक्टर राजेश सरोज से जानकारी करने पर उनके द्वारा बताया गया कि श्री छड्डू शर्मा को दिनांक 22.04.2026 की रात्रि 09:55. बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सोनबरसा लाया गया, परन्तु अस्पताल आने से पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। 5. मृतक के परिवारजनों से पूछताछ करने पर स्पष्ट हुआ कि मृतक का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। पोस्टमार्टम नहीं कराये जाने के कारण मृत्यु का अनुमानित समय और मृत्यु का सही कारण स्पष्ट नहीं हो सकता है। 6. यह भी उल्लेखनीय है कि जॉच के क्रम में एंबुलेंस का पंजीयन मांगने पर यह स्पष्ट हुआ कि एंबुलेस संख्या– WB39A9280 का स्वामी श्री विरेन्द्र यादव पुत्र कपिलदेव यादव, निवासी ग्राम लच्छीपुर, पोस्ट कजोरा, थाना अनदल वर्धवान, पश्चिम बंगाल है। वाहन का पंजीयन पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर सम्भाग में दिनांक 21.02.2014 को कराया गया है और दिनांक 16.01.2016 तक के लिए वैध है। वाहन का बीमा भी 10.01.2025 तक के लिए ही मान्य था। वाहन का फिटनेस 16.01.2016 तक के लिए ही वैध था। इसके पश्चात फिटनेस भी नहीं कराया गया है। 7. पेट्रोल पंप के मैनेजर से भी जानकारी प्राप्त की गयी और बयान लिया गया। मैनेजर श्री अशोक कुमार भारती पुत्र गुड्डू राम मैनेजर भूषण सर्विस स्टेशन बैरिया (टेंगरही) इण्डियन ऑयल ने बयान दिया है कि दिनांक 22.04.2026 को साय काल लगभग 09:21 बजे एक एबुलेंस बलिया की तरफ से आयी और पेट्रोल पंप पर पेट्रोल यूनिट के पास खड़ी हुयी। उसके ड्राईवर द्वारा पेट्रोल की मांग किया गया और कहा गया कि गाड़ी में पेट्रोल जाने भर नहीं है, इसलिए हमको कुछ लीटर पेट्रोल दिया जाए। मेरे द्वारा पेट्रोल का स्टॉक न होने के कारण पेट्रोल नहीं दिया जा सका। एबुलेंस लगभग 15 मिनट तक खड़ी रही। इसके बाद पेट्रोल पंप से बलिया की तरफ चली गयी। दिनांक 22.04. 2026 एवं 23.04.2026 को पूरी तरफ पेट्रोल का सेल बन्द रहा और पेट्रोल डीजल के नोजल को कपड़े से ढक कर रखा गया। 8. मैनेजर द्वारा पेट्रोल पंप पर उपलब्ध पेट्रोल व डीजल का स्टॉक दिखाया गया तो यह स्पष्ट हुआ कि पैट्रोल पंप के स्टाक में दिनांक 22.04.2026 को मोटर स्प्रिंट 4595 लीटर, हाईस्पीड डीजल 4784 लीटर, एक्स्ट्रा प्रिमियम पेट्रोल 3475 लीटर का स्टाक उपलब्ध था। स्पष्ट है कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता होने के बावजूद पम्प मैनेजर द्वारा सम्बन्धित वाहन संख्या उपरोक्त को आवश्यक ईंधन (पेट्रोल) उपलब्ध नहीं कराया गया और डीजल एवं पेट्रोल की विक्री को बाधित रखा गया। जो उत्तर प्रदेश हाई स्पीड डीजल और लाईट डीजल ऑयल (आपूर्ति और वितरण का रख रखाव) आदेश 1981 के प्रस्तर 16 (2) का स्पष्ट उल्लंघन है। जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को धारा 3/7 के अन्तर्गत एक दण्डनीय अपराध है। अतएव में भूषण सर्विस

स्टेशन बैरिया (टेंगरही) बलिया के मैनेजर श्री अशोक कुमार भारती पुत्र गुड्डू राम निवासी ग्राम बहादुरपुर विकास खण्ड बेलहरी जनपद बलिया के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय वलिया के अनुमोदन आदेश दिनांक 24.04.2026 के क्रम में उपरोक्त धारा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। सलग्नकः–1– जिलाधिकारी महोदय के अनुमोदन आदेश दिनांक 24.04.2026, 2– जांच रिपोर्ट दिनांक 24.04.2026 (19 पन्ने)। 3– मे0 भूषण सर्विस स्टेशन, बैरिया के दिनांक 23.04.2026 ऑनलाइन स्टाक की छायाप्रति। 4– मैनेजर श्री अशोक कुमार भारतीय का बयान (01 पन्ने)। 5– दिनाक 24.04.2026 को प्रकाशित दैनिक जागरण बलिया सस्करण की प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति। 6–उ०प्र० सरकार (खाद्य रसद विभाग अनुभाग–7) की अधिसूचना दिनांक 21 फरवरी 1981"

उक्त तहरीर व जिलाधिकारी बलिया के अनुमोदन के आधार पर सम्बन्धित पम्प मैनेजर अशोक कुमार भारती के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–3/7 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया ।

3– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उपरोक्त अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र के अलावे आवेदक की तरफ से कोई भी अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मान० सत्र न्यायालय या मान० उच्च न्यायालय के समक्ष न तो प्रस्तुत किया गया है और न ही लंबित है। आवेदक को प्रबल आशंका है कि मुकदमा उपरोक्त में आवेदक विद्वान मजिस्ट्रेट न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आत्मसमर्पण करके नियमित जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है, तो जनपद–बलिया के मान० न्यायालयों में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार तो उसके द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त करके उसे कारागार में प्रतिप्रेषित कर दिया जाएगा। आवेदक पूर्व में कभी भी किसी भी संज्ञेय अपराध के संबंध में किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध नहीं किया गया है। आवेदक के न्याय से भागने की कोई मंशा नहीं है। पुलिस के आरोप पत्र प्रेषित किये जाने पर पर भी आवेदक को जमानत कराना ही पड़ेगा। इसलिए मान० न्यायालय के विचारण के समय आवेदक की उपस्थिति के लिए अनावश्यक बिलम्ब न हो इसलिए भी आवेदक के जानत प्रार्थना पत्र की सुनवाई आवश्यक है। आवेदक निर्दोष है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया है उसे रजिंशन झूठा फंसाया गया है। आवेदक इण्डियन आयल भूषण सर्विस स्टेशन टेंगरही थाना–बैरिया जनपद–बलिया पर केवल कर्मचारी के रूप में कार्य करता है तथा रू० 8000/– मासिक वेतन पाकर अपने परिवार का गुजारा करता है। वर्तमान में जनपद बलिया में वैवाहिक कार्यक्रम जोरों पर है। जिसके लिए वाहनों में पेट्रोल और डीजल की अतिरिक्त खपत बढ़ गई है। इसके अतिरिक्त फसल मड़ाई में भी डीजल की खपत काफी बढ़ गई है। जबकि पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूर्व की अन्य दिनों की भांति ही हो रही है, किंतु उक्त डीजल और पेट्रोल की अत्यधिक मांग के कारण पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पर्याप्त नहीं पड़ रही है। जिसके कारण पेट्रोल पम्प डीलरों को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ रही है। आवेदक जिस पेट्रोल पम्प पर कार्य करता है उस पेट्रोल पंप से दिनांक 21–4–2026 को 12000 लीटर से अधिक डीजल और 8500 लीटर से अधिक की पेट्रोल की बिक्री हुई थी। जिसके फलस्वरूप लगभग 4200 लीटर पेट्रोल तथा 4595 लीटर डीजल अवशेष बचा था। भूमिगत भंडारण टैंक में 3000 लीटर से कम डीजल या पेट्रोल होने से भूमिगत भंडारण टैंक के रूप में चला जाता है। जिसे ड्राई हो जाना कहा जाता है। आवेदक जिस पेट्रोल पंप पर कार्य

करता है उस पेट्रोल पंप के लगभग 2 किलोमीटर की चारों दिशाओं की दूरी के मध्य कोई आबादी नहीं है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से रात में 9:00 बजे के बाद पेट्रोल या डीजल की बिक्री नहीं की जाती है। आवदेक पम्प डीलर द्वारा दिये गये सुरक्षात्मक निर्देश कि रात 9:00 बजे के बाद उत्पाद न बेचा जाय का उल्लंघन नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी नौकरी जाने का खतरा है। उपस्थित जनता की माँग के अनुरूप वितरण हेतु पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल के उपलब्ध न होने के कारण आवेदक के पेट्रोल पंप से दिनांक 22–4–26 को कोई बिक्री नहीं की गई थी। दिनांक 21.4.2026 को पुलिस और जिला प्रशासन की उपस्थिति में पेट्रोल और डीजल की बिक्री की गई थी। जनता से विवाद की स्थिति को देखते हुए दो बार डायल 112 की पुलिस को पेट्रोल पंप पर बुलाना पड़ा था। उसी दिन जिला प्रशासन के मौखिक निर्देश पर अति आवश्यक सेवा में कार्यरत वाहनो के लिए इमरजेंसी हेतु पेट्रोल और डीजल रिजर्व में रखने का अलग से आदेश भी दिया गया था। जिसके कारण आवेदक जिस पेट्रोल पंप पर कार्य करता है के पेट्रोल पंप से दिनांक 22–4–2026 को कोई बिक्री नहीं की गई थी। ग्राम पंचायत जगदेवां के प्रधान सत्येद्र यादव उर्फ सत्तन यादव अपना निजी एंबुलेंस लेकर रात में करीब 9:30 बजे पेट्रोल पंप पर आए थे। पेट्रोल पंप पर उस समय मात्र आवेदक उपस्थित था। शेष कर्मचारी बिक्री न होने के कारण अपने–अपने घर लौट गए थे। उक्त श्री सत्येंद्र यादव उर्फ सत्तन यादव द्वारा एंबुलेंस में पेट्रोल भरने के लिए कहा गया, किंतु एंबुलेंस के अंदर किसी बीमार व्यक्ति के होने की कोई जानकारी आवेदक को नहीं दी गई। जिस समय ग्राम प्रधान पेट्रोल पंप पर आए थे उस समय अपनी–अपनी मोटर बाइक और तेल का डब्बा लिए 30 से अधिक व्यक्ति पेट्रोल पंप के इर्द–गिर्द बैठे हुए थे, कि यदि किसी को भी पेट्रोल या डीजल दिया जाएगा तो वह लोग जबरदस्ती डीजल या पेट्रोल लेने का प्रयास करेंगे। आवेदक द्वारा स्पष्ट रूप से उक्त ग्राम प्रधान श्री सत्येंद्र यादव को बताया गया कि मेरे पास यद्यपि की कुछ पेट्रोल और कुछ डीजल अवशेष है किंतु जिला प्रशासन के आदेश पर उसकी बिक्री नहीं की जा रही है और न हीं सुरक्षा का कोई इंतजाम है। आप चाहे तो जिला प्रशासन से वार्ता कर आदेशित करा दें और सुरक्षा का प्रबंध करा दें तो मुझे तेल देने में कोई दिक्कत नहीं है। इस पर उक्त ग्राम प्रधान महोदय द्वारा एस०डी०एम० बैरिया महोदय से मोबाईल फोन पर वार्ता की गई। एस०डी०एम० महोदय द्वारा स्पष्ट रूप से उक्त ग्राम प्रधान महोदय को बताया गया कि यह आपके निजी एंबुलेंस का मामला है उसमें तेल देने के लिए वह नहीं कह सकते। एंबुलेंस सरकारी नहीं है। उक्त बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग पुलिस को डीलर द्वारा दिया गया है। यदि ग्राम प्रधान महोदय द्वारा किसी मरीज के बारे में जानकारी दी गई होती तो वह अपने मोटरसाइकिल से करीब 2 लीटर तेल निकाल करके उनके एंबुलेंस में डाल देता। जिससे कि वह पेट्रोल पंप से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोनबरसा पर मरीज को ले जा सकते थे, किंतु एस०डी०एम० महोदय से बातचीत करते समय ग्राम प्रधान के मुंह से जब यह निकला कि मरीज मर चुका है और उन्होंने दोबारा तेल देने के लिए उनके द्वारा नहीं कहा गया और करीब 13 मिनट तक अधोस्ताक्षरी के पेट्रोल पंप पर एम्बुलेंस खड़ा करने के उपरांत ग्राम प्रधान महोदय एंबुलेंस लेकर के अपने घर चले गए और आवेदक द्वारा कोई लापरवाही नहीं की गई है या ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है कि जो एमडीजी 2024 के खंड 5.1.18 का उल्लंघन किया हो। प्राथमिकी में ही उल्लिखित है कि ग्राम प्रधान श्री सत्येंद्र यादव उर्फ सत्तन यादव द्वारा एक एम्बुलेंस जो पश्चिम बंगाल में पंजीकृत थी, अपने निजी प्रयोग के लिए रखा गया है। जिसका पंजीकरण व फिटनेस दिनांक 16–01–2016 तक ही वैध था। उक्त वाहन का बीमा दिनांक 10–01–2025 तक ही

वैध था। उक्त एम्बुलेंस का पंजीकरण स्वास्थ्य विभाग से नहीं कराया गया है। आवेदक या डीलर न तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के किसी भी नियम के उल्लंघन करने का साहस रखता है और न ही जिला प्रशासन के आदेशों के उल्लंघन करने की स्थिति में है। आगामी ग्राम पंचायत के चुनाव को देखते हुए अपने राजनैतिक लाभ के लिए उक्त ग्राम प्रधान श्री सत्येंद्र यादव उर्फ सत्तन यादव द्वारा समाचार पत्रों को गलत जानकारी दी गई है। जबकि बाद की जाँच के बाद स्वयं संवाददाताओं द्वारा वीडियो क्लिप के माध्यम से समाचार प्रसारित भी किया गया है कि मरे हुए व्यक्ति को अस्पताल ले जाने के नाम पर अपने निजी एंबुलेंस की टंकी को फुल करने के लिए ग्राम प्रधान श्री सत्येंद्र यादव उर्फ सत्तन यादव द्वारा राजनीतिक ड्रामा किया गया है और इस प्रकार तथा पेट्रोल पम्प को निशाना बनाया गया है। आवेदक जिस पेट्रोल पंप पर कार्य करता है उस पेट्रोल पंप हमेशा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड व उसके अधिकारियों/कर्मचारियों, जिला प्रशासन व स्थानीय पुलिस के आदेशों का अक्षरशः पालन किया गया है। आवेदक जिस पेट्रोल पंप पर कार्य करता है उस पेट्रोल पंप के संबंध में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा Marketing Discipline Guidelines (MDG) के अन्तर्गत 15 दिवस की बिकी का प्रतिबंध लगाये जाने के बाद उक्त पेट्रोल पंप पर तेल वितरण प्रारम्भ कराया जा चुका है। जिसके कारण भी आवेदक की अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना विधि सम्मत होगा। इस प्रकरण में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा निर्गत कारण बताओं नोटिस में स्वयं डीलर द्वारा अंकित किया गया है कि समाचार पत्र उल्लिखित समाचार में कोई सत्यता नहीं है और न ही रिटेल आउटलेट के किसी कर्मचारी की लापरवाही के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है। जो ग्राम प्रधान और एस०डी०एम० महोदय के बीच हुई वार्ता के ऑडियो क्लिप से भी स्पष्ट हो रहा है। अधोहस्ताक्षरी के आऊटलेट के बारे में जो भी भ्रातक तथ्य समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है वह समाचार संवाददाताओं द्वारा सत्यता की बिना जाँच पड़ताल किये प्रकाशित हो गया है। जो स्वयं इलेक्ट्रानिक मिडिया के संवाददाताओं की जाँच पड़ताल से स्पष्ट हो गया है कि पूरे प्रकरण में डीलर के आऊटलेट के कर्मचारी की कोई गलती नहीं थी। आप श्रीमान् जी स्वये इस तथ्य से सहमत होगें कि किसी भी आऊटलेट की संरचना व कर्मचारी की सुरक्षा भी सर्वोपरि है। डीलर के आऊटलेट सुरक्षा उसके अगल–बगल में उपस्थित जनता व किसी पुलिसकर्मी की अनुपलब्धता के कारण सर्वाधिक खतरे में थी। उपरोक्त आधारों पर आवेदक को जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया।

4– उ0प्र0 राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आवेदक के विरूद्ध गम्भीर आरोप है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा पेट्रोल पम्प के स्टॉक में पेट्रोल उपलब्ध रहने के बावजूद एम्बुलेंस जिसमें तेल कम था और उक्त एम्बुलेंस से बीमार छड्डू शर्मा को उपचार हेतु अस्पताल ले जाया जा रहा था, उस एम्बुलेस में पेट्रोल नहीं दिया गया जिसके कारण छड्डू शर्मा समय से अस्पताल नहीं पहुँच पाया और उसकी मृत्यु हो गयी । अतः उक्त आधार पर अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

7– उभयपक्ष के तर्को के परिप्रेक्ष्य में केस डायरी व सम्बन्धित पत्रावली का अवलोकन किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों, केस डायरी में संकलित साक्ष्य के अनुसार दिनांक 22–04–2026 को 21.21 बजे एक एम्बुलेंस जिसमें बीमार छड्डू शर्मा को इलाज हेतु अस्पताल ले जाया जा रहा था, में पेट्रोल कम होने के कारण एम्बुलेंस का चालक

भूषण सर्विस स्टेशन बैरिया (टेगरही) बलिया पर पेट्रोल लेने के लिए गया, लेकिन आवेदक/अभियुक्त व अन्य कर्मियों द्वारा उस एम्बुलेंस में पेट्रोल नहीं दिया गया । बाद में दूसरे जगह से पेट्रोल की व्यवस्था करके मरीज को अस्पताल ले जाया गया जहॉ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। केस डायरी पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन विदित है कि जिलाधिकारी बलिया के निर्देश से जब उक्त पेट्रोल पम्प पर उपलब्ध पेट्रोल व डीजल का स्टॉक की जॉच की गयी तो स्टॉक में दिनांक 22–04–2026 को मोटर स्प्रिंट 4595 लीटर, हाईस्पीड डीजल 4784 लीटर, एक्स्ट्रा प्रिमियम पेट्रोल 3475 लीटर का स्टाक उपलब्ध था, जिससे प्रतीत होता है कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल की पर्याप्त उपलब्धता होने के बावजूद पम्प मैनेजर द्वारा सम्बन्धित वाहन एम्बुलेंस उपरोक्त को आवश्यक ईंधन (पेट्रोल) उपलब्ध नहीं कराया गया और डीजल एवं पेट्रोल की विक्री को बाधित रखा गया। इस प्रकार आवेदक/अभियुक्त जो उक्त पेट्रोल पम्प का मैनेजर है के द्वारा स्टॉक में पर्याप्त पेट्रोल रहने के बावजूद गम्भीर रूप से बीमार व्यक्ति को इलाज हेतु ले जा रहे एम्बुलेंस में पेट्रोल न दिये जाने के कारण समय से इलाज न हो पाने के परिणाम स्वरूप छड्डू राम की मृत्यु होना बताया जाता है ।

अतः मामले के गुण–दोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर प्रदान किये जाने का आधार नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त अशोक कुमार भारती का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं0–1070/2026, मु0 अ 0 सं0–149/2026, अन्तर्गत धारा–3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 थाना बैरिया, जिला बलिया निरस्त किया जाता है।

दिनांक–04–07–2026

(रामकृपाल)
विशेष न्यायाधीश(ई 0 सी0 एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
बलिया।

Steno-Manoranjan Kumar Srivastava